न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज0

सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
स्व वाद संख्या : 522/2016
MS No. : 2016/00225

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादी ::-

वादी:

1. भंवरू पुत्र जमाल
2. बाबू पुत्र जमाल
3. नैना पुत्र जमाल

जातियान- मेहरात,
निवासीगण- ग्राम भींवगढ़,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

प्रतिवादी:

1. रेशम पुत्र छोटू
2. शौकिन पुत्र छोटू
3. नूरी पत्नी छोटू
4. दीना पुत्र कालू
5. शंकर पुत्र कालू
6. अरजून पुत्र कालू
7. देवा पुत्र गुमान
8. साबू पुत्र गुमान
9. मेणा पत्नी रहमान
10. इन्द्रा पुत्री रहमान
11. संतोष पुत्री रहमान
12. साबू पुत्र रहमान
13. सुखी पुत्री रहमान
14. भगवती पुत्री रहमान
15. सुल्तान पुत्र करूणा
16. सुवा पुत्र हजारी
17. कचरू पुत्र हजारी
18. गाजी पुत्र रामा
19. मोटा पुत्र रामा
20. फून्दी पत्नी रामा विलोपित
21. नजीर पुत्र नसीबा
22. भीमा पुत्र नसीबा
23. गुलाब पुत्र नसीबा
24. तहसीलदार जैतारण, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार।
25. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार
   कार्यालय जैतारण।
26. पटवारी, पटवारी हल्का रास
   [illegible] तहसील- जैतारण
   [illegible] राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/[illegible]/2016

उपस्थितः- 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादीगण।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–॥ निर्णय ॥– दिनांक– 30/08/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का कर निवेदन किया है कि वादीगण ने दिनांक 11/06/2005 को पटवार सर्कल तीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा 2142 रकबा 10 बीघा, संख्या 2143 रकबा 05-04 बीघा, खसरा संख्या 2144 रकबा 03-19 बीघा, संख्या 2145 रकबा 00-04 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 2146 10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल कृषि भूमि 29 बीघा 17 बिस्वा में से िगण संख्या एक व दो का कुल आराजी में 1/5वां हिस्सा में से 1/60 हिस्सा बेचाननामा के खरीद किया तथा कब्जा प्राप्त किया। वक्त खरीद से आज दिन ादीगण का बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त वादीगण का आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बैचाननामा की नकल व जमाबन्दी की सत्यापित प्रति के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादपत्र के ख्या एक में बताई गई समस्त खसरा नम्बारान् की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या दो का उक्त आराजीयात में शेष 1/15वां हिस्सा रहता है व प्रतिवादीगण संख्या पन्द्रह का उक्त आराजी में 3/10 वां हिस्सा शेष रहता है क्योंकि प्रतिवादीगण एक व दो ने अपनी कुल भूमि 1/12 वां हिस्सा आता है जिसका 1/5 वां यानि 1/60 हिस्से की भूमि का वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 17. 005 को कर दिया व उसी तरह प्रतिवादीगण संख्या चार से पन्द्रह के पिता ने ण को 3/18 वां हिस्से में से जिसमें 1/15 हिस्सा यानि 3/40 हिस्से का बेचान 17.03.2005 को कर कृषि भूमि नापचौप कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर वक्त खरीद से आज दिन तक वादीगण का मौके पर बिना किसी रोकटोक के पूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने पटवार सर्कल रास के री को दिनांक 20.03.2005 को एक प्रार्थना पत्र व रजिस्ट्री अनुसार वादीगण के की कृषि भूमि का दाखिला तोड़कर राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज किया बाबत् निवेदन किया, लेकिन पटवारी हल्का रास द्वितीय ने वादीगण को आश्वासन कि उक्त दाखिला तोड़कर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दुगां, लेकिन गण के नाम का दाखिला आज दिन तक राजस्व रिका0र्ड में नही तोड़ा गया। गण हल्का पटवारी रास द्वितीय के आश्वासन पर रह गये। वादीगण अनपढ़ व कम लिखे कानूनी ज्ञान नही होने से पटवारी हल्का रास द्वितीय के भरोसे पर रह गये उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया है। दिनांक 01.08.2016 को वादीगण अपनी खरीद सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि को उपजाउ बनाने के लिये खादबीज हेतु लेने की आवश्यकता होने पर वादीगण पटवार हल्का रास द्वितीय के पास ाबन्दी की नकलें प्राप्त करने हेतु गये [illegible] बताया कि वादपत्र पद संख्या एक मे वर्णित खसरा संख्या [illegible] भूमि के राजस्व रेकर्ड ाबन्दी मे वादीगण का नाम ही दर्ज [illegible] पटवार हल्का रास ीय को दिनांक 05.08.2016 को उक्त दाखिला तोड़ने हेतु प्रार्थनापत्र व रजिस्ट्री की ल पेश की तो उक्त दाखिला तोड़ने से पटवार हल्का रास द्वितीय ने स्पष्ट रूप से ा कर दिया। इसलिए वादीगण द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
…सहायक कलक्टर,
…तारण, जिला-पाली

ी के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण संख्या एक दो व चार से पन्द्रह के ादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा संख्याान की कृषि भूमि के राजस्व । दर्ज है। जबकि वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के क्री है तथा कब्जा प्राप्त कर खरीद से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण को भी अब उक्त म्युटेशन नहीं भरे जाने बाबत् पता चल गया ालिए प्रतिवादीगण संख्या एक व दो तथा चार से पन्द्रह वादीगण को खरीद की ूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना गलत नाम दर्ज होने का नाजायज उठाते हुए कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत बक्सीस दान भोगलावे अन्य हस्तान्तरण अजनबी व्यक्ति को करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण संख्या एक तथा चार से पन्द्रह को वादपत्र के पद संख्या एक मे बताई खसरा संख्या ान की भूमि मे से वादीगण की खरीद सुदा, कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि का बेचान का कोई हक व अधिकार नही है। अगर प्रतिवादीगण संख्या एक व दो तथा चार द्रह वादपत्र के पद संख्या एक मे बताई खसरा संख्या की भूमि मे से वादीगण हिस्से की कृषि भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्टर्ड बेचान कर देते है तो ा अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो एवं वादीगण को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही तथा मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होगा जिससे मल्टीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् एवं विविध प्रकार की पेचीदगीयां पैदा होगी तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी जिससे वादीगण खर्चे से जेरबार हो जायेगे। इसलिए इन विषम परिस्थितियो मे ण के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने ; वादपत्र वादीगण की और से विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 24, 25, 26 राज्य सरकार के धि होकर अधिकारी एवं कर्मचारी है जिन्हे वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया नके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा जब ादीगण का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् अलग से धारा 80 (2) सीपीसी का ापत्र पेश है। बिनाय दावा दिनांक. 05-08-2016 को वादीगण द्वारा अपने ारी अधिकारो की घोषणा रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17/03/2005 अनुसार व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार करने एवं वादीगण की खरीद सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को अपने कब्जे काश्त से बेदखल की ऐलानिया कथन करने पर बमुकाम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील ण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र व श्रवणाधिकार ाने से अन्दर म्याद वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ादावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 19 व 21 से 26 बावजूद न सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहें तथा बार बार आवाजें दिलायी जानें रहनें से ; विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही की गई। प्रतिवादी संख्या 20 की फौत होने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मुकाम पूर्व से ही रेकर्ड पर होने से वादपत्र से प्रतिवादी संख्या 20 फुन्दी पत्नी का नाम विलोपित किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का पत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय वेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

वादीगण द्वारा ग्राम पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली के रा संख्या 2142 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 2143 रकबा 05-04 बीघा, रा संख्या 2144 रकबा 03-19 बीघा, खसरा संख्या 2145 रकबा 00-04 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 2146 रकबा 10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल कृषि भूमि 29 बीघा 17 बिस्वा में से प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का आराजी में 1/5वां हिस्सा में से 1/60 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 15 पिता से वादीगण ने 3/18 वां हिस्से में से जिसमें 1/15 हिस्सा यानि 3/40 स्से का दिनांक 17.03.2005 को खरीद किया तथा कब्जा प्राप्त किया। इस जस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 17.03.2005 के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 से 19 व 21 से 26 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्यवादी में वादी भंवरू पुत्र जमाल जाति मेहराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1, गवाह मैणी पत्नी रहमान जाति मेरात का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.02, गवाह सोहन पुत्र नुरा जाति मेरात निवासी भींवगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.3, गवाह अजीत पुत्र नैनसिंह जाति मेहरात निवासी भींवगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.4, गवाह हरी पुत्र नुरा जाति मेहरात निवासी भींवगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.5, गवाह हाकम काठात पुत्र भंवरू जाति मेहरात निवासी भींवगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.6, गवाह जमाल पुत्र लाडू जाति मेहरात निवासी भींवगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.7 तथा गवाह मदन पुत्र कालु जाति मेहरात निवासी भीवंगढ का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए। वादी एवं गवाहान् द्वारा साक्ष्यवादी में प्रस्तुत शपथ पत्रो में वादपत्र में अंकित कथनो एवं तथ्यो का समर्थन किया। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। प्रदर्श-1 पटवार हल्का रास द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2ए उपपंजीयन कार्यालय जैतारण में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2005 द्वारा प्रथम पक्ष प्रतिवादी संख्या 01 रेशमा पि. छोटू, प्रतिवादी संख्या 02 शौकिन पि. छोटू तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के पूर्वज कालू, गुमान तथा रहमान पि. कमाजी के द्वारा प्रार्थीगण भंवरू, बाबू व नैना पि. जमाल के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 रेशमा शौकिन पि. छोटू द्वारा कुल भूमि का 1/12 वां हिस्सा आता है जिसका 1/5 वां हिस्सा यानि कुल भूमि का 1/60 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के पति व पिता कालू गुमान तथा रहमान पि. कमाजी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से कुल भूमि का 3/8 वां हिस्सा आता है जिसका 1/5 वां हिस्से की भूमि यानि कुल भूमि का 3/40 वां हिस्से की भूमि का बैचान किया है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ी/गवाह बहादूर पुत्र मंगला तथा कचरू पुत्र बाबू जाति मेहरात निवासी भींवगढ के ...क्षर है। प्रदर्श-3ए उपपंजीयन कार्यालय जैतारण की दिनांक 17.03.2005 फीस ...ष्ट संख्या 2154 है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 व ... तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के पिता व पति द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में ...ीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2005 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने ... हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि का बैचान किया है। लेकिन तत्समय वादीगण का ...म नामान्तरण प्रक्रिया द्वारा वादग्रस्त आराजी में दर्ज नही हो सका। प्रतिवादी संख्या ...1 व 02 रेशमा व शौकिन पि. छोटू का वादग्रस्त आराजी में 1/2 का 1/4 का 2/3 ...स्सा आता है। अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का वादग्रस्त आराजी में कुल भूमि ...ा 1/12 वां हिस्सा आता है जिसका 1/5 वां हिस्सा यानि कुल भूमि का 1/60 वां ...स्सा की भूमि का बैचान किया है। वही प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के पिता व पति ...ालू गुमान तथा रहमान पि. कमाजी का वादग्रगस्त आराजी में 1/2 का 3/4 वां ...स्सा आता है। अर्थात प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के पिता व पति का वादग्रस्त ...ाराजी 3/8 वां हिस्सा आता है जिसका 1/5 वां हिस्सा की भूमि यानि कुल भूमि का ...3/40 वां हिस्से का बैचान किया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या ...01 व 02 रेशमा शौकिन पि. छोटू के हक हिस्से में 1/60 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के हक हिस्से में से 3/40 वें हिस्से का खातेदार अभिधारी प्रार्थीगण को घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा। प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से में से 1/60 वां तथा प्रतिवादी संख्या 04 से 14 के हक हिस्से में से 3/40 वां हिस्से का कुल वादग्रस्त आराजी का 11/120 वे हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित करने से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2142, 2143, 2144, 2145 व 2146 में इनके हिस्सो की निम्नानुसार शुद्धि किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा तथा शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेगी–

क्र. स.	बैचाननामा दिनांक 17.03.2005 से प्रभावित खातेदार एवं क्रेतागण	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा	शुद्धि उपरान्त हिस्सा
1.	रेशम पुत्र छोटू	1/24	1/30
2.	शौकिन पुत्र छोटू	1/24	1/30
3.	दीना पुत्र कालू	1/32	1/40
4.	शंकर पुत्र कालू	1/32	1/40
5.	अर्जुन पुत्र कालू	1/32	1/40
6.	कसुमी पत्नी कालू	1/32	1/40
7.	देवा पुत्र गुमान	1/16	1/20
8.	साबू पुत्र गुमान	1/16	1/20
9.	मेणा पत्नी रहमान	[illegible]	1/60
10.	इन्द्रा पुत्री रहमान	[illegible]	1/60
11.	संतोष पुत्री रहमान	1/48	1/60
12.	साबू पुत्री रहमान	1/48	1/60
13.	सुखी पुत्री रहमान	1/48	1/60
14.	भगवती पुत्री रहमान	1/48	1/60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

भंवरू पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	-	11/360
बाबू पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	-	11/360
नैना पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	-	11/360

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत के वाद वादी बखूबी साबित होता है तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में कृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किये गये हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों की णा किया जाना कानूनन उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से ीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास थम तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा 2142 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 143 रकबा 05-04 बीघा, खसरा संख्या 2144 रकबा 03-19 बीघा, खसरा ख्या 2145 रकबा 00-04 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 2146 कबा 10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल कृषि भूमि 29 बीघा 17 बिस्वा में से खातेदार रेशमा शौकिन पि. छोटू के 1/12 हिस्से में से वादीगण भवंरू बाबु नैना पि. जमाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय शुदा 1/60 वां हिस्सा तथा खातेदार दीना शंकर अर्जुन पि. कालू, कसूमी पत्नी कालू, देवा साबु पि. गुमान तथा मेणा पत्नी रहमान एवं इन्द्रा संतोष साबु सुखी भगवती पि. रहमान के 3/8 हिस्से में से वादीगण भवंरू बाबु नैना पि. जमाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय शुदा 3/40 वां हिस्से में अर्थात कुल वादग्रस्त आराजी का 11/120 वे हिस्से में वादीगण भवंरू बाबु नैना पि. जमाल को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में खातेदारान् के हक हिस्सो की प्रविष्ठियां निम्नानुसार शुद्धि किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेगी–

क्र. स.	बैचाननामा दिनांक 17.03.2005 से प्रभावित खातेदार एवं क्रेतागण	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा	शुद्धि उपरान्त हिस्सा
1.	रेशम पुत्र छोटू	1/24	1/30
2.	शौकिन पुत्र छोटू	1/24	1/30
3.	दीना पुत्र कालू	1/32	1/40
4.	शंकर पुत्र कालू	1/32	1/40
5.	अर्जुन पुत्र कालू	1/32	1/40
6.	कसुमी पत्नी कालू	1/32	1/40
7.	देवा पुत्र गुमान	1/16	1/20
8.	साबू पुत्र गुमान	1/16	1/20
9.	मेणा पत्नी रहमान	1/48	1/60
10.	इन्द्रा पुत्री रहमान	1/48	1/60
11.	संतोष पुत्री रहमान	1/48	1/60
12.	साबू पुत्री रहमान	1/48	1/60
13.	सुखी पुत्री रहमान	1/48	1/60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

भगवती पुत्री रहमान	1/48	1/60
भंवरु पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	–	11/360
बाबू पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	–	11/360
नैना पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ़	–	11/360

तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
स्व वाद संख्या : 522/2016
IS No. : 2016/00225

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

भंवरू पुत्र जमाल
बाबू पुत्र जमाल
नैना पुत्र जमाल
जातियान– मेहरात, निवासीगण–
ग्राम भींवगढ़, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली।

1. रेशम पुत्र छोटू
2. शौकिन पुत्र छोटू
3. नूरी पत्नी छोटू
4. दीना पुत्र कालू
5. शंकर पुत्र कालू
6. अरजून पुत्र कालू
7. देवा पुत्र गुमान
8. साबू पुत्र गुमान
9. मेणा पत्नी रहमान
10. इन्द्रा पुत्री रहमान
11. संतोष पुत्री रहमान
12. साबू पुत्र रहमान
13. सुखी पुत्री रहमान
14. भगवती पुत्री रहमान
15. सुल्तान पुत्र करूणा
16. सुवा पुत्र हजारी
17. कचरू पुत्र हजारी
18. गाजी पुत्र रामा
19. मोटा पुत्र रामा
20. फून्दी पत्नी रामा विलोपित
21. नजीर पुत्र नसीबा
22. भीमा पुत्र नसीबा
23. गुलाब पुत्र नसीबा
24. तहसीलदार जैतारण, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।
25. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कार्यालय जैतारण।
26. पटवारी, पटवारी हल्का रास द्वितीय तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :–रा0वा0 स0: 522/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम/द्वितीय हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा 2142 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 2143 रकबा 05–04 बीघा, खसरा संख्या 2144 रकबा 03–19 बीघा, खसरा संख्या 2145 रकबा 00–04 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 2146 रकबा 10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल कृषि भूमि 29 बीघा 17 बिस्वा में से खातेदार रेशमा शौकिन पि. छोटू के 1/12 हिस्से में से वादीगण भवंरू बाबु नैना पि. जमाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय शुदा 1/60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

स्सा तथा खातेदार दीना शंकर अर्जुन पि. कालू, कसुमी पत्नी कालू, देवा साबु पि. तथा मेणा पत्नी रहमान एवं इन्द्रा संतोष साबु सुखी भगवती पि. रहमान के 3/8 में से वादीगण भवंरू बाबु नैना पि. जमाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय 3/40 वां हिस्से में अर्थात कुल वादग्रस्त आराजी का 11/120 वे हिस्से में वादीगण बाबु नैना पि. जमाल को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खातेदारान् के हक हिस्सो की प्रविष्ठियां निम्नानुसार शुद्धि किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जावें तथा शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेगी–

	बैचाननामा दिनांक 17.03.2005 से प्रभावित खातेदार एवं क्रेतागण	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा	शुद्धि उपरान्त हिस्सा
	रेशम पुत्र छोटू	1/24	1/30
	शौकिन पुत्र छोटू	1/24	1/30
	दीना पुत्र कालू	1/32	1/40
	शंकर पुत्र कालू	1/32	1/40
	अर्जुन पुत्र कालू	1/32	1/40
	कसुमी पत्नी कालू	1/32	1/40
	देवा पुत्र गुमान	1/16	1/20
	साबू पुत्र गुमान	1/16	1/20
.	मेणा पत्नी रहमान	1/48	1/60
0.	इन्द्रा पुत्री रहमान	1/48	1/60
1.	संतोष पुत्री रहमान	1/48	1/60
2.	साबू पुत्री रहमान	1/48	1/60
13.	सुखी पुत्री रहमान	1/48	1/60
14.	भगवती पुत्री रहमान	1/48	1/60
15.	भंवरू पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ	–	11/360
16.	बाबू पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ	–	11/360
17.	नैना पुत्र जमाल जाति मेहरात निवासी भींवगढ	–	11/360

तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/08/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प वजह सबूत	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	06–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा			
मिजानः–	11–00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested